राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांक एफ.1 (ई)(149) स्था./डीटीए/ 3207 - 3217 दिनांक : 01/09/2022

आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प.2 (2) प्र.सु./अनु–3/2022 दिनांक 13.07.2022 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018 से चयनित अभ्यर्थियों का निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग में नियुक्ति देने हेतु आवंटन किए जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग में शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.14 (1) वित्त/नियम/2013 दिनांक 30.10.2017 व दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (PRPBATONER-TRAINEE) के रूप में नियत पारिश्रमिक रुपये 23700/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने उपरान्त पें–मैट्रिक्स लेवल–10 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुंक्ति प्रदान की जाती है:–

S.N.	RANK	ROLL. NO	CANDIDATE NAME	FATHER NAME	D.O.B	GENDER	CATEGORY	SEL_CAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	105	162460	SWATI METHI	SHIV DAYAL METHI	02.09.1997	FEMALE	GEN	A-GEN	
2.	168	152035	LOKESH KAUSHIK	SATISH KAUSHIK	15.09.1992	MALE	GEN-EWS	A-GEN	
3.	171	102516	MONIKA YADAV	BANSHI LAL YADAV	10.02.1998	FEMALE	OBC	A-GEN	
4.	1136	177831	ABHISHEK KUMAR SARWAN	JITENDRA KUMAR SARWAN	11.12.1996	MALE	SC	A-SC	

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 15.09.2022 तक नियुक्त विहित पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश उक्त दिनांक तक पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेंगे।
2. अभ्यर्थियों को उक्त आदेश के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (FIX-PAY) पर कार्य करने की लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी।
3. परिवीक्षा काल (PROBATION-PERIOD) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
4. 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार शीघ्रलिपिक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल–10 में वेतन निर्धारण किया जाने पर ही वेतन एवं भत्ते देय होंगे।
5. दिनांक 01.04.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
6. परिवीक्षा अवधि में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम) 2021 पार्ट दिनांक 26.05.2022 के अनुसार (PROBATIONER-TRAINEE) के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियां की जा सकेंगी।
7. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा–2018 के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित मैरिट क्रम में रहेगी।
8. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा व अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार देय होंगे।
9. यह नियुक्तियां पूर्णतया अस्थाई हैं। अस्थाई होने से सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक् किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में नियमित कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में कार्यग्रहण करते समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त होकर, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत–भुगतान प्रमाण पत्र के साथ ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत होगी एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अटेस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है।
13. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या 1 (2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.14 (1)एफडी/रूल्स/2013 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No-16) राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (FIXED REMUNERATION) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महगांई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तालिका व प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
16. उक्त अभ्यर्थियों को उक्त आदेश के क्रम में कार्य पर उपस्थित होने पर उन्हें मेडिकल ज्यूरिष्ठ सवाई मान सिंह अस्पताल/जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
17. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ.1 (ई)(149) स्था./डीटीए/3207 – 3217 दिनांक : 01/09/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प.2 (2) प्र.सु./अनु–3/2022 दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
4. कोषाधिकारी शासन सचिवालय जयपुर।
5. उप निदेशक एवं एसीपी को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. संबंधित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री...।
8. लेखा/भुगतान शाखा।
9. रक्षित पत्रावली।

1/9/22
(अतुल खण्डेलवाल)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)